न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 197/2007

1 गिरधारी लाल पुत्र रामदेव।
2 प्रभात पुत्र रामेदव समस्त जाति जाट निवासीगण भान्डाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र रामदेव।
2 काना पुत्र रामदेव।
2/1 लीलाराम पुत्र कानाराम।
2/2 बनवारी पुत्र कानाराम।
2/3 बिल्लूराम पुत्र कानाराम।
2/4 श्रवणी बेवा कानाराम।
2/5 छोटी पुत्री कानाराम।
2/6 कोयली पुत्री कानाराम।
2/7 सुमन पुत्री कानाराम।
2/8 लाली पुत्री कानाराम।
3 लीलाराम पुत्र कानाराम।
4 बनवारी पुत्र कानाराम।
5 बिल्लूराम पुत्र कानाराम समस्त जाति अहीर निवासीगण भान्डाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19.04.2018 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बमुकदमा प्रार्थना पत्र
बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अनुवानी धोली आदि बनाम कुनण
प्रार्थना पत्र संख्या 334/2015 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री विधाधर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 18.03.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 334/2015 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट के विरूद्व विचारण न्यायालय ने भूमि खसरा नम्बर 196/3 तन माण्डाला तहसील नीमकाथाना बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 196/4/1 रकबा 0.68 हैक्टेयर तन ग्राम माण्डाला जब भूमि अर्जित कि गई उस समय परिवार शामिल में एवं वादी व प्रतिवादीगण एक साथ रहते थे। प्रतिवादी संख्या 1 बड़ा व कर्ता खानदान

होने से अकेले के नाम भूमि आई है अत एक व्यक्ति के नाम नियमन होने से कोई फर्क नही पड़ता क्योंकि पिता रामदेव के समय से चारो भाई कब्जे में चले आ रहे है। मौके पर विभाजन कर रखा है व वादीगण वही रहते है। गवाह भी यही कहते है कि नियमन के समय बंटवारा नही हुआ था शामिल ही रहते थे। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि सम्मत नही है। अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि यह भूमि दिनांक 06.06. 1966 को प्रतिवादी संख्या 01 को आंवटन हुई। यह भूमि पक्षकारान की पैत्रिक नही है। इन्तकाल की कॉपी पेश की है। आगे सहखातेदारों ने बंटवारा किया उसका इन्तकाल भी पेश किया है। इन्तकाल की अपील की थी 30.07.1999 को यह खारिज हुई थी। गिरदावरिया हमारे पास में है। मकानात की फोटो हमने पेश की है गवाह भी करवाये है। न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ने भी द्वितीय अपील को अपने निर्णय दिनांक 28.03.2001 द्वारा खारिज की थी एवं इन्तकाल को बहाल रखा है निर्णय की प्रति प्रदर्श ए 3 पेश की है वादी जगदीश स्वंय कहता है कि यह भूमि प्रतिवादी को आवंटन हुई है। अत दावा वादीगण किसी भी प्रकार सिद्व नही होता है। विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक भूल नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि पक्षकारान की पैत्रिक नही है। इन्तकाल की काफी पेश की है। आगे सहखातेदारों ने बंटवारा किया उसका इन्तकाल भी पेश किया है। इन्तकाल की अपील की थी 30.07. 1999 को यह खारिज हुई थी। गिरदावरिया भी पेश हुई है। न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ने भी द्वितीय अपील को अपने निर्णय दिनांक 28. 03.2001 द्वारा खारिज की थी एवं इन्तकाल को बहाल रखा है निर्णय की प्रति

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रदर्श ए 3 पेश की है वादी जगदीश स्वंय कहता है कि यह भूमि प्रतिवादी को आवंटन हुई है।

वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे यह साबित होता हो कि वादीगण का अपने पिता के समय से विवादित भूमियों पर कब्जा काश्त हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक भूल नही की है। विचारण न्यायालय के निर्णय व हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर